न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः 27-11-25

अपील संख्या 140/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/265)

1. खुशालचंद पुत्र आशाराम जाति व्यास निवासी रत्ताणी व्यासों का चौक, बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26–06–1993
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत मुकाम कोलायत के आदेश दिनांक 26–06–1993 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को राजस्थान इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन विक्रय नियम 1975 के नियम 13 (ए) के तहत तत्कालीन आवंटन अधिकारी एवं आवंटन सलाहाकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 18.12.1990 द्वारा चक 1 बी.डी.वाई के मुरब्बा नम्बर 194/51 तादादी 23 बीघा 5 बिस्वा अनकमाण्ड कृषि भूमि का विशेष आवंटन हेतु पात्रता जांच करने के पश्चात अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु सक्षम घोषित किया गया तथा अपीलांट को आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि व किश्तो को जमा करवाने के लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आवंटन प्रक्रिया सतत प्रक्रिया ना होने के कारण 35 प्रतिशत राशि व किश्त जमा करवाने की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट आवंटन के पश्चात से ही 35 प्रतिशत राशि व किश्ते जमा करवाने के लिए तैयार था आज भी 35 प्रतिशत राशि व किश्ते जमा करवाने के लिए तैयार है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलांट को नियम 13 (ए) नियम 1975 के तहत विशेष आवंटन के तहत आवंटन की गई है तथा अपीलांट की पात्रता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के पात्र घोषित किये जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा अवाप्त बताकर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। जो कि न्याय प्रक्रिया का उल्लघंन है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेशिका दिनांक 16-06-1993 में यह अंकित किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा वन विभाग द्वारा अवाप्त होने से पुनः अन्य आवेदन करने के रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति में पेश हो। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश दिनांक 16-06-1993 की पालना में अपीलांट को कोई सबूत अथवा सुनवाई का अवसर ही प्रदान नही किया गया था तथा सीधे ही दिनांक 26-06-1993 को अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था अगर उक्त भूमि वन विभाग द्वारा अवाप्त की गई है तो अपीलांट को अन्य भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त आदेश दिनांक 26-06-1993

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे विकल्प में समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
सत्यमेव जयते

पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा चक 1 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 194/51 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबुत यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वादग्रस्त भूमि चक 1 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 194/51 के आवंटन के संबंध में प्रार्थी के अलावा एक अन्य शशिकान्त पुत्र कृष्णलाल का भी आवेदन प्राप्त हुआ था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरियता तय की गई। प्रार्थी/अपीलांट को बीकानेर का पूर्व से ही निवासी होने के कारण वरियता में प्राथमिकता दी गई तथा प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार कर 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का चालान जारी किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 16-06-1993 में यह अंकित किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा वन विभाग द्वारा अवाप्त होने से पुनः अन्य आवेदन करने के रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति में पेश हो। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक नोटिस संख्या 513 दिनांक 16-06-1993 की प्रति उपलब्ध है जिसमें अंकित है कि आप द्वारा आवेदित रकबा वन विभाग में अवाप्त होने के कारण आपको आवंटित नही किया जा सकता है। अतः आप आरक्षित रकबे में से पुनः अन्य रकबा के लिए आवेदन दिनांक 22-06-1993 से 06-07-1993 तक इस कार्यालय में कर सकते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस अवधि दिनांक 22-06-1993 से 06-07-1993 से पूर्व ही अपनी आदेशिका दिनांक 26-06-1993 द्वारा अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि अगर उक्त रकबा वन विभाग द्वारा अवाप्त किया जा चुका था तो अपीलांट को अन्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रकबे के लिए पुनः आवेदन का अवसर प्रदान करते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से बिना तथ्यों की जॉच व अपीलांट का सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.** उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस तथ्य की जॉच करे कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अगर वन विभाग द्वारा अवाप्त किया गया है तो उसे पात्रता अनुसार अन्य रकबे के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तमाम सबूतो की जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्णय आज दिनांक 27-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर